भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3608

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए

सी०पी०एस०ई० की भूमि का निपटान

3608. प्रो० रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बन्द करने अथवा रणनीतिक विनिवेश हेतु पहचानी गई केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की भूमि की बिक्री के विषय में उद्योग संबंधी विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सुझाव के अनुरूप कार्यवाही करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): लोक उद्यम विभाग द्वारा 7 सितम्बर, 2016 और 14 जून, 2018 को रूग्ण/घाटे वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को बंद करने के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि भूमि निपटान के लिए प्राथमिकता पहले भूमि केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों, पीएसई, निकाय, प्राधिकरण इत्यादि को ऑफर करने की होनी चाहिए। तथापि, यदि उपरोक्त से कोई ऑफर प्राप्त न हो तो अचल संपत्तियों का निपटान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ किसी भी पक्ष को नीलामी एजेंसी के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाए।

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार सीपीएसई द्वारा विनिवेश/कार्यनीतिक विनिवेश से संबंधित मामले निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा देखे जाते हैं। कार्यनीतिक विनिवेश के अंतर्गत सीपीएसई के मामले में भूमि निपटान का कार्य निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

*****